# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी

पत्रांकः–सीएफओ–बीबीके / पी–04 / 2019 दिनांक:मार्च 29, 2019

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
बाराबंकी।

विषयः मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के द्वारा ग्राम–प्यारेपुर सरैया, तहसील–नवाबगंज जनपद बाराबंकी के गाटा सं0 207 एवं 208 लखनऊ से फैजाबाद रोड पर माइल स्टोन संख्या 42 से 434 मीटर की दूरी पर फैजाबाद की तरफ प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल (MS) एंव डीजल (HSD) विकय हेतु अग्निशमन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः पत्र संख्या:637 / श0लि0 / 2019 दिनाक:11.03.2019

उपरोक्त विषय व सन्दर्भित पत्र के साथ मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या:REF:M/2018/IN001330/UP/000172/1403/00037 Dated: 07-03-2019 द्वारा डीलरशिप श्रीमती सरिता शाही पत्नी श्री मार्कण्डेय शाही, निवासी–53 बाल विहार कालोनी, कुकरैल पिकनिक स्पाट रोड, फरीदीनगर, जनपद लखनऊ के नाम दिये जाने का प्रस्ताव ग्राम–प्यारेपुर सरैया, तहसील–नवाबगंज जनपद बाराबंकी के गाटा सं0 207 एवं 208 लखनऊ से फैजाबाद रोड पर माइल स्टोन संख्या 42 से 434 मीटर की दूरी पर फैजाबाद की तरफ रिटेल आउटलेट पेट्रोल (MS) एंव डीजल (HSD) विकय हेतु स्थल प्रस्तावित है।

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के द्वारा प्रेषित मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा एंव पेट्रोलियम एक्ट 1934, पेट्रोलियम नियम 2002 एवं संशोधित पेट्रोलियम नियम 2007 तथा OISD-225 के मानकों के अनुरूप मेरे आदेशानुसार श्री प्रभाकर पाण्डेय अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी की निरीक्षण आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

1– निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल खाली पाया गया जो लखनऊ से फैजाबाद रोड पर स्थित है, जहां पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
2– प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल 1575.00 वर्गमीटर है।
3– 20के.एल. क्षमता का दो अदद हाई स्पीड डीजल भूमिगत टैंक तथा 20के.एल. क्षमता का एक अदद पेट्रोल भूमिगत टैक प्रस्तावित है।
4– तीनों टैंकों के मध्य में 4 मी0 ऊचॉई के अलग–अलग तीन वेन्ट पाइप प्रस्तावित है।
5– भूमिगत टैक एंव वाउण्ड्रीवाल के मध्य 1.5 मी0 चौड़ाई की सुरक्षा दूरी छोड़ा जाना प्रस्तावित है।
6– निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं गुजरी पायी गयी।
7– पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में प्रवेश एवं निकास हेतु 11.50 मी0 चौड़ाई के दो अदद गेट प्रस्तावित है।
8– प्रस्तावित स्थल के आस पास किसी ज्वलनशील पदार्थो का रख–रखाव / भण्डारण / दुकान आदि नहीं पाया गया।
9– मार्ग एंव पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के मध्य 12.00 मी0 लम्बी एंव 3.00 मी0 चौड़ी बफर स्ट्रिप का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

## प्रस्तावित व्यवस्था एंव अग्निशमन प्रणाली

1– सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1646 व आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में ई0एल0सी0बी0 / एम0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
2– टैंक के लिए वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जिसकी ऊँचाई 4.00 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
3– वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
4– टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित होगा।
5– लारी / तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।

क्रमशः पेज संख्या....2 पर

त्रिभुवन पाण्डेय/TRIBHUWAN PANDEY
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री)/Sr. Manager (RS)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय/Lucknow Divisional Office
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि./Indian Oil Corporation Limited

C.F.O.
B.B.K.

6– डीजल एवं पेट्रोल के भण्डारण स्थल के पास 50 कि.ग्रा. क्षमता की आईएसआई मार्क ए.बी.सी. / डी.सी.पी. ट्राली दो अदद एवं फायर सैण्ड बकेट 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जाये।

7–प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट के पास 2–2 अदद आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 9 किलोग्राम के रखे जाये समस्त अग्निशमन यन्त्रों को सदैव कियाशील रखने एंव उनका रख–रखाव नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकों का होगा।

8– इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्क कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जाये।

9– डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 09 कि0ग्रा0 क्षमता एंव दो अदद 09 लीटर क्षमता के मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0 मार्क के रखें जाये और D.G Sets के स्टैक Hight नियमानुसार होना चाहिए एंव टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।

10–जनसुरक्षा हेतु समरसेबिल पम्प को जनरेटर से जोड़ा जाये व पम्प पर टी लगाकर 63 एम0एम0 की मेल कपलिंग / हाइड्रेण्ट लगवाये जाये जिससे अग्निशमन के वाहन आवश्कता पड़ने पर पानी प्राप्त कर सकें।

11–लाइसेंस एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

12–प्रत्येक पावर पम्प मोटर पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।

13–इमरजेंसी प्लान OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।

14–पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 के अनुसार होनी चाहिए।

15–पेट्रोल पम्प पर **धूम्रपान निषेध** के बोर्ड लगे होने चाहिए।

16–फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0 101, 05248–222999 व मो0नं0 9454418726 / 27 और जिला कन्ट्रोल रूम का फोन नं0 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।

17–प्रवेश / निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न हो।

18–जागरूकता के लिए निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें:–

(अ) तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बंद कर ले।

(ब) धूम्रपान न करें।

(स) मोबाइल बंद रखें।

19–पेट्रोल पम्प में स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस प्रतिवर्ष राजकीय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराकर अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

20–मानचित्र में अंकित समस्त बिन्दुओं का पूर्णतया पालन किया जाये।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एंव प्रस्तावित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं का पालन करने एंव पेट्रोलियम एक्ट 1934, पेट्रोलियम नियम 2002 एवं संशोधित पेट्रोलियम नियम 2007 तथा OISD-225 में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने की शर्त के साथ अग्निशमन विभाग की आख्या संस्तुति सहित इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण कराकर अन्तिम स्थाई अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्गत आख्या स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आख्या केवल अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए ही विधि मान्य होगी।

संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र।

21/5/19

त्रिभुवन पाण्डेय/TRIBHUWAN PANDEY
वरिष्ठ प्रबन्धक (खुदरा बिक्री)/Sr. Manager (RS)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय/Lucknow Divisional Office
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि०/Indian Oil Corporation Limited
कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज, लखनऊ/Kapoorthala Complex, Aliganj, Lucknow

19.3.19

(आर0के0 तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बाराबंकी।

(आर0के0 तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बाराबंकी